

सं. एनएस-एमआईएससीओओटीएचआर/19/2025-एनपीसीएस(आरएनआई)

भारत सरकार  
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय  
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)  
9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 01.05.2025

**2025 की एड्वाइजरी संख्या 13**

विषय: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग के लिए नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशकों हेतु एड्वाइजरी

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग आज, अर्थात् दिनांक 01.05.2025 से शुरू हो गई है। इसलिए, जिन प्रकाशकों की पत्रिकाएं पीआरजीआई (पूर्व में आरएनआई) के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरण ऑनलाइन फाइल करने की सलाह दी जाती है।

2. प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 12 (1) में विहित है कि किसी पत्रिका का प्रकाशक प्रेस महापंजीयक को उस पत्रिका के संबंध में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा एक निश्चित समय में, निश्चित प्रारूप में और निश्चित विवरण देते हुए निर्धारित किया जा सकता है। वार्षिक विवरण फाइल न करना उपर्युक्त धारा का उल्लंघन है। साथ ही, प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियम, 2024 के नियम 9 में यह भी प्रावधान है कि जिन प्रकाशकों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, उन्हें ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल पर चालू कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. जिन पत्रिकाओं का औसत दैनिक प्रसार 2000 या उससे अधिक है, उन्हें अपने वार्षिक विवरण को पंजीकृत सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) से प्रमाणित करवाना होगा। इस प्रयोजनार्थ, सीए प्रेस सेवा पोर्टल पर स्वयं को भी पंजीकृत भी करना होगा।

4. किसी भी कठिनाई की स्थिति में, सहायता के लिए हमारे हेल्पडेस्क से 011-24320025 पर संपर्क किया जा सकता है या [it-helpdesk.rni@gov.in](mailto:helpdesk.rni@gov.in) पर ईमेल किया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।





(हितेश रावत)  
सहायक प्रेस महापंजीयक